Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

आर्म्स एक्ट के आरोपी शुभम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07 माह के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त- शुभम पुत्र सौहन्दर निवासी ग्राम निरपुड़ा थाना दोघट जनपद बागपत, अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0- 50/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 28.09.2023 को मा0 न्यायालय सिविल जज/ स्पेशल एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त शुभम को दोषी पाते हुए 07 माह के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर **दिनाँक 28.09.2023**

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवीण पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-का0 1014 कुलदीप कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 28.09.2023

थाना सिंघावाली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 गंड़ासा, 02 छुरी, 02 रस्सी व 01 लकड़ी का मुग्दा बरामद ।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावाली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 01 गंड़ासा, 02 छुरी , 02 रस्सी व 01 लकड़ी का मुग्दा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 252/2023 धारा 439 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सलमान पुत्र यूनुस निवासी कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- **02 रस्सी।**
- **एक लकड़ी का मुग्दा।**
- **02 छुरी।**
- **एक गंडासा**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-का0 1068 प्रवीण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोटजनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 28.09.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 738/2023 धारा 379 भादविका सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 02 कॉपर की नलीनूमा पाईप बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.09.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अनिल कुमार पुत्र श्री कर्णसिंह नि वासी मौहल्ला पुरानी तहसील कस्बा व थाना कोतवाली बागपत हाल पता भजन विहार गली नं0 06 कस्बा बागपत लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के मकान पर लगी ए0सी0 की फिटिंग में लगा कोपर का पाईप लगभग 4-5 फिट चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 738/2023 धारा 379 भादवि का पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गतथाना कोतवाली बागपतपुलिसद्वारा थाने केमु0अ0सं0 738/2023 धारा 379/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 01 अभियुक्त विक्की उर्फ विक्रान्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुए02 कॉपर की नलीनुमा पाईप बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विक्की उर्फ विक्रान्त पुत्र स्व0 विनोद कुमार नि वासी जैन मौहल्ला कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- **चोरी की हुई एक 2.5 फीट लम्बी कॉपर की नलीनुमा पाईप।**
- **चोरी की हुई एक 2.5 फीट लम्बी कॉपर की छेदनुमा पाईप।**

गिरफ्तारकरने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री कृपेन्द्र थाना कोतवाली बागपत।

2- का0 435 आलोक सैनी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3- का0 293 अनुज थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँकः- 28.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अ भियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू उर्फ पंकज पुत्र जयवीर सिंह निवासी वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-का0 468 आबिद थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 28.09.2023

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 गाड़ी आयशर कैन्टर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 01 गाड़ी आयशर कैन्टर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विक्रम पुत्र चन्दर निवासी ग्राम नरवल थाना राजौंद जनपद कैथल हरियाणा।

2-अशोक कुमार पुत्र कोरवान निवासी नरवल थाना राजौंद जनपद कैथल हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

- **01 गाड़ी आयशर कैन्टर नं0 HR-64A-3185**
- **क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
3-का0 811 योगेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
4-का0 718 अनित कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
5-का0 1119 वीरेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 28.09.2023**

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोहनपाल पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 20 पाउच अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-है0का0 546 विपिन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 28.09.23**

थाना छपरौली पुलिसने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 05लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराबतस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिसद्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जेसे05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक पुत्र स्व0 पाल निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 05 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 मौ0 आसिफ थाना छपरौली।

2-का0 976 लवकुश कुमार थाना छपरौली।

2-का0 227 अनिल डागुर थाना छपरौली।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 28.09.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 334/22 धारा 457/380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16/08/2022 को थाना खेकडा पर वादी जावेद पुत्र रफात अली निवासी रटौल थाना खेकडा ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर में से संदूक का ताला तोडकर नकदी व आभूषण व उसके पडोसी फराकत अली के मकान से 8000 रुपये व 03 मोबाइल फोन चोरी कर लिए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं 334/2022 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 334/2022 धारा 457/380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-फुरकान पुत्र जफर निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपत बागपत।

2-फिरोज पुत्र अब्बास निवासी सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- **चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन बरामद।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अनूप कुमार थाना खेकड़ा जनपत बागपत।

2-का0 250 कोमल थाना खेकड़ा जनपत बागपत।

3-का0 851 पुष्पेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपत बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर **दिनाँक 28.09.2023**

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कल्लू पुत्र युसुफ निवासी कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-का0 666 रघुवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।